वाद संख्या–98/2022

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत), सारण(छपरा) बनाम् बिनोद कुमार पाण्डेय।

06.10.2023 इस वाद की सुनवाई दिनांक–21.09.2023 को की गई, जिसमें वादी जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत),सारण(छपरा) की तरफ श्री राजू कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण(छपरा) उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव रंजन उपस्थित।

जिला प्रशासन के तरफ से प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी श्री विनोद कुमार पाण्डेय, ग्राम पंचायत अकबरपुर, प्रखण्ड–दरियापुर, जिला– सारण(छपरा), सोनपुर R.P.F. 03/2000 काण्ड में धारा–03 R.P (U.P.) Act के तहत कारागार में दिनांक– 05.04. 2000 से दिनांक–12.06.2000 (लगभग दो माह) तक रहे। बाद में न्यायालय, अपर मुख्य दण्डाधिकारी, सोनपुर द्वारा कारा अवधि में बिताई गई, समय को सजावधि मानते हुए, अलग से रू 3,000/– अर्थ दण्ड की सजा दी गई थी, जिसे प्रतिवादी द्वारा रसीद संख्या–422592, जिल्द संख्या–1576, (दिनांक–11.04.2019) द्वारा जमा कर दिया गया था।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि कारावास की अवधि 06 माह से कम है तथा अर्थदण्ड का भुगतान किया जा चुका है। अतः यह मामला बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136 के तहत अयोग्यता का मामला नहीं बनता है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त कारणों से उनके मुवक्किल के विरूद्ध प्रारंभ किए गए वाद को समाप्त किया जाए।

आयोग द्वारा जिला प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराए गए, प्रतिवेदन पत्रांक–1630, दिनांक–15.05.2023, पत्रांक–16(मुख्य), दिनांक–15.09.2023 तथा प्रतिवेदन के साथ संलग्न न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, रेलवे, सोनपुर के द्वारा सोनपुर R.P.F. 03/2000 काण्ड में पारित आदेश दिनांक–11.04.2019 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट रूप से प्रमाणित पाया गया कि श्री विनोद कुमार पाण्डेय दिनांक–05.04.2000 से दिनांक–12.06.2000 कुल– दो माह 07 दिन हेतु कारावास में रहे। साथ ही साथ उनके द्वारा रू 3,000/– अर्थ दण्ड का भुगतान भी किया गया। **गलत शपथ–पत्र एवं तथ्य छुपाने हेतु आयोग के पत्रांक–5107, दिनांक–25.10.2022 द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–125(क)(3) के तहत कार्रवाई हेतु पूर्व से ही आदेश निर्गत है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) से अपेक्षित है कि पूर्व से निर्गत आदेश के आलोक में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।**

उक्त वर्णित स्थिति में प्रतिवादी श्री विनोद कुमार पाण्डेय के विरूद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136(1)(छ) के तहत मामला प्रमाणित नहीं होता। अतः प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, प्रतिवादी श्री विनोद कुमार पाण्डेय वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत अकबरपुर, प्रखण्ड–दरियापुर, जिला–सारण(छपरा), सोनपुर के विरूद्ध वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
06.10.2023
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
06.10.2023
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–98/2022 3522 पटना, दिनांक–9 अक्टूबर, 2023

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, सारण(छपरा)/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण(छपरा) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण(छपरा) को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी(श्री विरेन्द्र शर्मा, C.W.J.C. No. 1656/2022 के वादी) एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

09/X/23
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–98/2022 3522 पटना, दिनांक–9 अक्टूबर, 2023

प्रतिलिपि– श्री विनोद कुमार पाण्डेय, ग्राम पंचायत अकबरपुर, प्रखण्ड–दरियापुर, जिला–सारण(छपरा) एवं श्री विरेन्द्र शर्मा, C.W.J.C. No. 1656/2022 के वादी को सूचनार्थ प्रेषित।

09/X/23
विशेष कार्य पदाधिकारी